

**अनुदान संख्या 63 - खान मंत्रालय**  
**GRANT No. 63-MINISTRY OF MINES**

	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>		
प्रभारित-	Charged-	10,00	3,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		-6,83
स्वीकृत-	Voted-		शून्य Nil
मूल	Original 334,19,00	934,53,00	898,75,41
पूरक	Supplementary 600,34,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		-35,77,59
			22,67,40
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>		
स्वीकृत-	Voted-		
मूल	Original 55,41,00	55,42,00	40,19,03
पूरक	Supplementary 1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		-15,22,97
			1,99,30

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas		
मू.	O.	1149.00	
पु.	R.	-1149.00	.. .. .

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "2853" अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	Major Head "2853" Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries			
मू.	O.	31304.00		
पू.	S.	60034.00	90228.40	88957.01
पु.	R.	-1109.60		-1271.39

(I) 1335.00 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1186.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.1335.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.1186.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(A) Major Head "2552" -

(क) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - सर्वेक्षण और मानचित्रण - जमीनी, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण" - 180.00 लाख रु.;

(a) "Geological Survey of India - Survey and Mapping - Ground, Aerial and Marine Survey" - Rs.180.00 lakhs;

(ख) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - खनिज अन्वेषण - आर्थिक खनिज" - 130.00 लाख रु.;

(b) "Geological Survey of India - Mineral Exploration - Economic Minerals" - Rs.130.00 lakhs;

(ग) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - अन्य व्यय" -

(c) "Geological Survey of India - Other Expenditure" -

(i) "विभिन्न प्रचालनों पर विविध मुख्य व्यय" - 221.00 लाख रु.; और

(i) "Miscellaneous Major Expenditure on different Operations" - Rs.221.00 lakhs; and

(ii) "सूचना और प्रौद्योगिकी" - 469.00 लाख रु.।

(ii) "Information and Technology" - Rs.469.00 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "2853" - "खानों का विनियमन और विकास - अन्य व्यय - भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड" - 186.00 लाख रु. (नवंबर, 2007 में प्राप्त किए गए 40.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) भूतपूर्व कर्मचारियों से पुराने बकायों की वसूली किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2853" - "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - सर्वेक्षण और मानचित्राण - जमीनी, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण" - के अंतर्गत 2938.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 336.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3274.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 748.71 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कम काम होने की वजह से व्यपगत न होने वाले पूल को निधियों का अभ्यर्पण किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2853" के अंतर्गत अगस्त, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" -

(क) "निदेशन और प्रशासन - प्रशासनिक सहायता" - 20404.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2764.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 23168.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो रिक्त पदों के भरे न जाने और प्रशासनिक कारणों की वजह से चिकित्सा, किराया, दरों, करों और कार्यालय व्यय संबंधी कतिपय बिलों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण 213.22 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "अन्य व्यय - सूचना और प्रौद्योगिकी" - 515.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 300.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 815.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कम काम होने की वजह से कम बिल प्राप्त होने के कारण 240.79 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "2853" - "Regulation and Development of Mines - Other Expenditure - Grants to Bharat Gold Mines Ltd." - Rs.186.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.40.00 lakhs obtained in November, 2007) - due to recovery of old outstanding dues from ex-employees.

(II) Under Major Head "2853" - "Geological Survey of India - Survey and Mapping - Ground, Aerial and Marine Survey" - the original provision of Rs.2938.00 lakhs was augmented to Rs.3274.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.336.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.748.71 lakhs (including supplementary grant) - due to surrender of funds to non-lapsable pool owing to less work in North Eastern Areas.

(III) Supplementary grant obtained in August, 2007 and March, 2008 under Major Head "2853" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Geological Survey of India" -

(a) "Direction and Administration - Administrative Support" - the original provision of Rs.20404.00 lakhs was augmented to Rs.23168.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2764.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.213.22 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and delay in finalisation of certain bills of medical, rent, rates, taxes and office expenses owing to administrative reasons.

(b) "Other Expenditure - Information and Technology" - the original provision of Rs.515.00 lakhs was augmented to Rs.815.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.300.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.240.79 lakhs - due to receipt of less bills owing to less work in North Eastern Areas.

(खा) “खानों का विनियमन और विकास - खान ब्यूरो - भारतीय खान ब्यूरो” - 3111.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 300.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3411.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो दो स्कीमों के अनुमोदन में विलंब होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 289.54 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष “2853” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुई:-

(का) “भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण” -

(क) “अनुसंधान और विकास - प्रयोगशाला अनुसंधान” - 126.66 लाख रु. की बचत (376.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मरम्मत और रख-रखाव/खराबी संबंधी कार्य पर कम खर्च आने के कारण हुई।

(ख) “अन्य व्यय - विभिन्न प्रचालनों पर विविध मुख्य व्यय” - 230.61 लाख रु. की बचत (755.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रकाशनों, विदेशी पत्रिकाओं के मुद्रण में विलंब होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) “खानों का विनियमन और विकास - खनिज अन्वेषण - विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम” - 231.21 लाख रु. की बचत (570.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं/स्कीमों के लिए स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(B) “Regulation and Development of Mines - Bureau of Mines – Indian Bureau of Mines” - the original provision of Rs.3111.00 lakhs was augmented to Rs.3411.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.300.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.289.54 lakhs - due to delay in approval of two schemes and economy measures.

(III) Under Major Head “2853” – savings also occurred under the following heads:-

(A) “Geological Survey of India” –

(a) “Research and Development - Laboratory Research” – saving of Rs.126.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.376.00 lakhs) was due to less expenditure in repairs and maintenance/ breakdowns of work in North Eastern Areas.

(b) “Other Expenditure – Miscellaneous Major Expenditure on different Operations” - saving of Rs.230.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.755.00 lakhs) was due to delay in printing of publication of Geological Survey of India, of foreign journals and economy measures.

(B) “Regulation and Development of Mines - Mineral Exploration –Science and Technology Programme” – saving of Rs.231.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.570.00 lakhs) was due to non-approval of sanctions for projects/ schemes.

2. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	251.00	..	..
पु.	R.	-251.00	..	..
मुख्य शीर्ष "4853" अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4853" Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries			
मू.	O.	5290.00		
पू.	S.	1.00	5342.70	4019.03
पु.	R.	51.70		-1323.67
(I) 289.00 लाख रु. का प्रावधान (नवंबर, 2007 में एक शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 251.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "4552" - "खनिज अन्वेषण तथा विकास - अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-	(I) Provision of Rs.289.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under one head obtained in November, 2007) remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.251.00 lakhs accounted for under Major Head "4552" - "Mineral Exploration and Development - Other Expenditure" - under the following heads:-			
(का) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" - 130.00 लाख रु. ; और	(A) "Geological Survey of India" - Rs.130.00 lakhs; and			
(खा) "भारतीय खान ब्यूरो" - 121.00 लाख रु.।	(B) "Indian Bureau of Mines" - Rs.121.00 lakhs.			
उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।	Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.			

(II) मुख्य शीर्ष "4853" - "खनिज अन्वेषण तथा विकास - अन्य व्यय - पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण" के अंतर्गत 1233.97 लाख रु. की बचत (5253.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय से बिलों की प्राप्ति न होने और साख पत्रा के माध्यम से खोले गए भंडारों के पोतारोहण में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4853" - "Mineral Exploration and Development - Other Expenditure - Acquisition of Capital Assets" - saving of Rs.1233.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5253.00 lakhs) was due to non-receipt of bills from Directorate General of Supplies and Disposals and delay in shipment of stores opened through letter of credit.

---